कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर (मध्याह्न भोजन प्रकोष्ठ)

शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में रसोईयों के चयन हेतु विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या : 435(1)–79–6–10 दिनांक 24 अप्रैल, 2010, संख्या : 1151/79–6–10 दिनांक 23 जुलाई 2010, संख्या– 1195/अरसठ–3–2019 दिनांक 04 अक्टूबर 2019, संख्या– 843/अरसठ–4–2022–604/2020 दिनांक 31 अगस्त 2022, पत्रांक : म०भो०प्रा०/C-678/2024–25 दिनांक 05 जुलाई 2024 एवं जिलाधिकारी महोदय, गोरखपुर द्वारा अनुमोदन दिनांक 19.07.2024 के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत जनपद गोरखपुर में ग्राम पंचायत/वार्ड समिति द्वारा विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के संचालन की स्थिति से सम्बन्धित विद्यालयों हेतु रसोईयों के चयन किया जाना है, जिसका प्रकाशन दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान में दिनांक 23.07.2024 एवं संशोधन विज्ञापन दिनांक 24.07.2024 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है। रसोईयों के चयन की व्यवस्था निम्नवत् निर्धारित की गयी है –

क्र.सं.	विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या	अनुमन्य रसोईयों की संख्या
1.	25 तक	1
2.	26–100	2
3.	101–200	3
4.	201–300	4
5.	301–1000	5
6.	1001–1500	6
7.	1501 से अधिक	7 अधिकतम

अर्हता/पात्रता–

1. रसोईया के चयन में आयु एवं शैक्षिक अर्हता का बन्धन नहीं है।
2. रसोईयों के चयन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अभ्यर्थी आवेदन करने वाले विद्यालय से सम्बन्धित ग्राम पंचायत/वार्ड का निवासी हो, तथापि यह अनिवार्य होगा कि उससे सम्बन्धित बच्चा उसी विद्यालय में पढ़ता हो जिस विद्यालय में अभ्यर्थी द्वारा रसोईया रखे जाने के लिए आवेदन किया गया है। ***(मुख्य एवं विशेष रूप से)***
3. ग्राम पंचायत एवं वार्ड समितियों के योजना के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में रसोईये के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि विधवा महिला, निराश्रित महिला एवं तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। इसी क्रम में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। इसी प्रकार पुरुष प्रत्याशियों में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निराश्रितों को प्राथमिकता दी जा सकेगी।
4. विधवा महिला एवं तलाकशुदा/परित्यक्ता के आवेदन की स्थिति में विधवा को प्राथमिकता दी जायेगी। परित्यक्ता द्वारा विज्ञापन में दिये गये प्रारूप पर ग्राम विकास अधिकारी से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
5. एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविलियन के उपरान्त मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत रसोईयों की व्यवस्था निम्नांकित की गयी है : –
   - शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल 2010 के अनुसार रसोईया नवीनीकरण/चयन किये जाने के दृष्टिगत संविलियन के उपरान्त शासनादेश द्वारा रसोइयों की अनुमन्य संख्या से अधिक रसोईया कार्यरत होने की स्थिति में सर्वप्रथम उस अतिरिक्त रसोईया को कार्य से विरत किया जायेगा जिनका पाल्य विद्यालय में अध्ययनरत् नहीं है।
   - अतिरिक्त रसोईया कार्यरत है तो उक्त स्थिति में सबसे बाद में नवीनीकरण/चयनित रसोईया (Last in First Out) को कार्य से विरत किया जायेगा।
   - जहाँ 01 से अधिक रसोईया एक साथ अथवा एक सत्र में चयनित की गयी हो और उनमें से किसी एक को कार्य से विरत किया जाना हो तो उस रसोईया को कार्य से विरत किया जायेगा, जिसकी आयु कम होगी।
   - अभ्यर्थियों का नवीनीकरण/चयन करते समय विधवा एंव परितक्यता को प्राथमिकता दी जायेगी एवं विधवा एवं परितक्यता दोनों के आवेदन करने की स्थिति में विधवा को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
   आवेदन पत्र प्राप्त होने के अन्तिम तिथि के पूर्व सम्बन्धित ग्राम प्रधान/प्रधानाध्यापक द्वारा उपरोक्त चयन समिति का गठन अनिवार्य रूप से कराया जायेगा।

चयन प्रक्रिया–

1. रसोईया चयन पद का निर्धारण 30 **सितम्बर 2023** *(यू०डॉयस+ के अनुसार)* की छात्र संख्या के आधार पर किया जायेगा।
2. ***रसोईयों का चयन जहाँ पर रसोईयों की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा यू०डॉयस प्लस में छात्र संख्या अधिक अथवा कम होने के कारण पद का पुर्नगठन किया गया है, वही पर रसोईयों का चयन किया जायेगा। (विद्यालयवार पद संख्या संलग्न है।)***
3. ***मध्य सत्र होने के कारण अन्य रसोईयों का नवीनीकरण (बिन्दु संख्या–02 को छोड़कर) किया जायेगा, किसी भी रसोईया को वित्तीय सत्र 2024–25 हेतु कार्यो से विरत नहीं किया जायेगा।***
4. आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र **25.07.2024** तक सम्बन्धित विद्यालय के सदस्य सचिव (प्रधानाध्यापक) को विद्यालय अवधि में प्राप्त करा दें निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।
5. मध्याह्न भोजन प्रॉधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक संख्या– म०भो०प्रा०/C-108/2019–20 दिनांक– 16 अप्रैल 2019 के द्वारा कक्षा–01 से 08 तक के विद्यालयों हेतु संविलियन के अन्तर्गत रसोईया चयन के निर्देश लागू रहेंगे।
6. अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा प्राप्त करने से इंकार करने की स्थिति में अभ्यर्थी विज्ञापन में आवेदन हेतु नियत अंतिम तिथि 25.09.2023 के अपरान्ह 5:00 बजे तक खण्ड विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अपना आवेदन देकर पावती रसीद प्राप्त कर सकेंगे।
7. प्रधानाध्यापक द्वारा अभ्यर्थी से आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरान्त (अभ्यर्थी को) पावती रसीद दी जायेगी।
8. किसी अभ्यर्थी द्वारा चयन के विरूद्ध सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी, जो कि अपील प्राप्त होने के एक माह के अन्दर निस्तारित करेंगे।
9. प्राप्त आवेदन पत्र को विद्यालय स्तर पर संकलित कर दिनांक– **30.07.2024** को रसोईया चयन समिति की बैठक की जायेगी एवं चयन सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
10. चयन उपरान्त ग्राम स्तरीय समिति द्वारा तत्काल रसोईये के चयन की कार्यवाही पूरी की जायेगी तथा समिति के सदस्य सचिव (प्रधानाध्यापक) द्वारा इसकी लिखित सूचना बिलम्बतः **10 सितम्बर 2024** तक खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
11. **आवेदन पत्र प्राप्त करने की स्थिति मे सम्बन्धित आवेदन पत्र पर रसोईयों के बचत खाता, आई0एफ0एस0सी0 कोड, बैंक एवं शाखा भी निर्धारित किया जायेगा।**

मानदेय–

1. प्रत्येक रसोईयां को मानदेय के रूप में सत्र 2024–25 में प्रतिमाह रूपये 2000=00 (10 माह हेतु) नियत की गयी है।
2. किसी कारण वश रसोईये की अनुपस्थिति की दशा में उपर्युक्त शासनादेश में निहित प्राविधानानुसार पैनल से चयनित अतिरिक्त रसोईये को नियमित रसोईये के मानदेय में से कटौती करते हुए भुगतान किया जायेगा।
3. रसोईया के मानदेय का भुगतान रसोईयों के निजी बचत खातों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जायेगा।

उपरोक्त चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रॉविधान योजना से आच्छादित सहायता प्राप्त विद्यालयों, मकतब/मदरसों तथा ऐसे विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे जहाँ स्वयं सहायता समूह एवं एन0जी0ओ0 द्वारा मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

संलग्नक– रसोईया सूची पदवार, विद्यालयवार संलग्न है।

25.07.2024

(रमेन्द्र कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गोरखपुर

पृ0सं0–मिड–डे–मील/9552-56/2024–25 दिनांक– 25-7-24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गोरखपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी, गोरखपुर।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर को इस आशय से अनुरोध है कि माध्यमिक सम्बद्ध पू0मा0वि0 में भी रसोईया चयन उपरोक्त तिथि के अनुसार कराने का कष्ट करें।
5. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर/नगर शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर को इस आशय से निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित ग्राम प्रधान/प्रधानाध्यापक को निर्देशित करने का कष्ट करें कि सम्बन्धित अभ्यर्थी को पावती रसीद उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गोरखपुर

प्रा प्राइमरी का मास्टर • कॉम www.primarykamaster.com

संख्या: 435(1)/79–6–10

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक: 24 अप्रैल, 2010

विषयः प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पके–पकाये मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था हेतु रसोईये का चयन एवं नियत मानदेय के सम्बन्ध में।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत आच्छादित राजकीय/स्थानीय निकाय/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, तहतानिया स्तर के मकतब/मदरसो, ई0सी0जी0आई0 केन्द्रों में भोजन पकाने हेतु स्थानीय स्तर पर रसोईये की व्यवस्था ग्राम प्रधान, वार्ड सभासद एवं स्वयं सहायता समूह आदि द्वारा की जाती है। शासनादेश संख्या–3026/79–6–2009 दिनॉक–26.12.09 जारी होने के पूर्व इन रसोईयों को परिवर्तन लागत के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य धनराशि में से ही मानदेय का भुगतान किया जाता था। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या–एफ0एन0ओ01–1/2009–डेस्क(एम0डी0एम0) दिनॉक–24.11.09 के कम में निर्गत शासनादेश संख्या–3026/79–6–2009 दिनॉक–26.12.09 द्वारा उक्त निर्धारित व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए रसोईये के लिए रू0 1000/– की दर से पृथक से मानदेय दिये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। रसोईये पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत वहन भारत सरकार द्वारा तथा शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

2. शासनादेश संख्या–3026/79–6–2009 दिनॉक–26.12.09 द्वारा निर्धारित नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, वार्ड शिक्षा समिति, स्वयं सहायता समूह से आच्छादित विद्यालयों तथा एन0जी0ओ0 द्वारा विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बनवाने की स्थिति में तथा शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा विद्यालय में मध्यान्ह भोजन बनवाने की स्थिति में रसोईये की संख्या हेतु मानक निम्नवत् निर्धारित किया जाता है–

कम संख्या	विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या	अनुमन्य रसोईये की संख्या
1	25 तक	1
2	26–100	2
3	101–200	3
4	201–300	4
5	301–1000	5
6	1001–1500	6
7	1501 से अधिक	7

रसोईये के मानदेय का भुगतान बैंक में रसोईये के नाम बचत खाता खुलवाकर एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से किया जायेगा। रसोईये के मानदेय हेतु निर्धारित धनराशि रू0 1000/– प्रतिमाह की दर से ग्राम शिक्षा निधि/वार्ड शिक्षा निधि के खाते में भेजी जायेगी। जबकि शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, एन0जी0ओ0 तथा स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में यह धनराशि सम्बन्धित संस्थाओं के खाते में भेजी जायेगी।

3. ग्राम पंचायत एवं वार्ड समितियों के योजना के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में रसोईये का चयन शासनादेश संख्या–1429/79–6–04–1(6)/2000 टी.सी.–3 दिनॉक–25 जून,04

(छायाप्रति संलग्न) द्वारा गठित ग्राम पंचायत समिति/वार्ड समिति द्वारा किया जायेगा। रसोईये के चयन हेतु चयन की प्रकिया, चयन हेतु अर्हता एवं निष्कासन की प्रकिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है:–

रसोईये का चयन उपरोक्त समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थियों की अभिभाविकाओं (माता, दादी, बहन, चाची, ताई, बुआ) में से कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–4/1/2001–कार्मिक–2 दि0 25.06.2002 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित रोस्टर के आधार पर किया जाएगा –

1– अनुसूचित जाति
2– अनारक्षित
3– अन्य पिछड़ा वर्ग
4– अनारक्षित
5– अनुसूचित जाति
6– अनारक्षित
7– अन्य पिछड़ा वर्ग

तथापि किसी विद्यालय में नामांकित छात्र संख्या के आधार पर एक ही रसोईया अनुमन्य होने की स्थिति में एकल पद होने के कारण संबंधित स्थान अनारक्षित रहेगा।

4. उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत अभ्यार्थियों का चयन करते समय विधवा एवं परित्यकता को प्राथमिकता दी जायेगी। किसी स्थान हेतु विधवा एवं परित्यकता दोनों के आवेदन करने की स्थिति में विधवा को प्राथमिकता दी जायेगी। अभ्यर्थी के परित्यकता होने की स्थिति में उसे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

रसोईये के चयन के लिए यह आवश्यक नही है कि अभ्यर्थी आवेदन करने वाले विद्यालय से सम्बन्धित ग्राम पंचायत/वार्ड का निवासी हो, तथापि यह अनिवार्य होगा कि उससे सम्बन्धित बच्चा उसी विद्यालय में पढ़ता हो जिस विद्यालय में अभ्यर्थी द्वारा रसोईया रखे जाने के लिए आवेदन किया गया है। रसोईये का चयन एक शिक्षा सत्र के लिए किया जायेगा। किसी विद्यालय के लिए आवेदन करने वाले रसोइयों में से शासन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानक के अनुसार अनुमन्य रसोईये की संख्या के दो गुना रसोइयों का पैनल तैयार किया जायेगा। किसी रसोईयें के बीमारी अथवा किसी अन्य कारण से किसी विद्यालय दिवस में अनुपस्थित होने पर इस पैनल की प्रतीक्षा सूची में से रसोईये को अनुपस्थित रसोईये के कार्य पर वापस आने तक लगाया जा सकेगा। इस रसोईये को प्रतिदिन रू0 45 की दर से मानदेय देय होगा जो कि अनुपस्थित रसोईये के मानदेय से कटौती कर दिया जायेगा। लेकिन एसे अतिरिक्त रसोईये को किसी माह विशेष में अधिकतम रू0 1000 का ही मानदेय अनुमन्य होगा अर्थात किसी माह विशेष में 23 व इससे अधिक विद्यालय दिवस होने की स्थिति में रू0 1000 मानदेय ही दिया जायेगा।

5. रसोईयों का चयन करने वाली ग्राम/वार्ड स्तरीय समिति को यह अधिकार होगा कि मध्यान्ह भोजन पकाने संबंधी सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी मानकों के पालन में लापरवाही, अनुशासनहीनता, किसी संकामक रोग से ग्रसित होने, किसी दुर्घटना के घटित होने अथवा अन्य कोई युक्ति–युक्त कारण, जिसके कारण चयन समिति भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों के हित में रसोईये से कार्य लेना उचित न समझे, के विद्यमान होने की स्थिति में रसोईये को तत्काल प्रभाव से हटाकर संबंधित श्रेणी के अगले अभ्यर्थी को रसोईये के काम पर लगा सकेगी। ग्राम/वार्ड स्तरीय समिति द्वारा रसोईये के निष्कासन की कार्यवाही प्रधानाध्यापक की रिपोर्ट के आधार पर ही की जायेगी।

इस संदर्भ में वर्ष 2010–11 हेतु रसोईयों के चयन के लिए विज्ञापन मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण स्तर से दि0 27.04.2010 तक प्रकाशित किया जाये। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारियों, सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के माध्यम से प्रचार–प्रसार करने के निर्देश दे दिये जायें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि शासन द्वारा निर्धारित मानको के आधार

www.primarykamaster.com

पर ग्राम पंचायत/वार्ड समितियों के माध्यम से योजना से आच्छादित विद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में रसोईयो की संख्या विद्यालयवार निर्धारित करते हुए सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं वार्ड सभासद को संबंधित प्रधानाध्यापकों एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से संसूचित करें। इस संख्यात्मक विवरण को मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाय, जिससे इच्छुक सामान्यजन इस विवरण की जानकारी प्राप्त कर सकें। ग्राम पचायत और वार्ड सभासद के स्तर पर प्रचार–प्रसार हेतु स्थानीय संसाधनों यथा डुगडुगी आदि का भी प्रयोग किया जाये, ताकि सभी अर्ह अभ्यर्थियों को रसोईये के चयन के संबंध में उपलब्ध रिक्तियों आदि की जानकारी हो सके।

6. वर्ष 2010–11 के बाद आगामी प्रत्येक शिक्षा सत्र के लिए चयन विगत शिक्षा सत्र समाप्त होने के पूर्व अपैल से मई माह में कर लिया जायेगा। इसके लिए सम्बन्धित जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 10 अप्रैल तक विज्ञापन प्रकाशित करा दिया जायेगा। जिसमें अर्ह अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु 10 दिन का समय प्रदान करते हुए विज्ञापन में ग्राम पंचायत/वार्ड समिति के सदस्य सचिव (सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक) के पास आवेदन पत्र प्राप्त कराने की अन्तिम तिथि भी अंकित कर दी जाये(आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्नक–1)। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा। विज्ञापन में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया जाये कि सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त उसको पावती रसीद दी जायेगी। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा आवेदन प्राप्त करने से इनकार करने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी विज्ञापन में आवेदन हेतु नियत तिथि के अपराह्न 5.00 बजे तक जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में इस प्रयोजन हेतु लगाये गये ड्राप बाक्स में अपना आवेदन डाल सकेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ड्राप बाक्स में डाले गये आवेदन पत्रों को आगामी 5 दिन के अन्दर सम्बन्धित प्रधानाध्यापकों को सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके उपरान्त ग्राम/वार्ड स्तरीय समिति द्वारा आगामी 1 सप्ताह के अन्दर रसोईये के चयन की कार्यवाही पूरी की जायेगी तथा समिति के सदस्य सचिव द्वारा इसकी लिखित सूचना विलम्बतम् 7 मई तक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

किसी अभ्यर्थी द्वारा चयन के विरूद्ध सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी, जो कि अपील प्राप्त होने के 1 माह के अन्दर अपील का निस्तारण सुनिश्चित करेगा।

सहायता प्राप्त विद्यालयों, मकतब/मदरसों, स्वयं सहायता समूह तथा एन0जी0ओ0 द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में रसोईये का चयन संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा तथा इन संस्थाओं के ऊपर चयन प्रक्रिया संबंधी उपरोक्त प्राविधान लागू नहीं होंगे।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
सचिव।

पृ0सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), उ0प्र0।
4– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ0प्र0।

(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव।

primarykamaster.com

संख्या–1429/79–6–04–1(6)/2000टी.सी.–3

प्रेषक,

श्री हरिराज किशोर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्राइमरी का मास्टर • कॉम
www.primarykamaster.com

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक– 25 जून, 2004

विषयः प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–196/2001 पीपुल्स युनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.11.2001 के समादर में श्री राज्यपाल महोदय गरीबी रेखा के क्रम में नीचे से चयनित प्रदेश के 25 प्रतिशत अर्थात 16 निम्न जनपदों– 1. बहराइच, 2. हरदोई, 3. लखीमपुर खीरी, 4. सोनभद्र, 5. उन्नाव, 6. रायबरेली, 7. प्रतापगढ़, 8. सीतापुर, 9. गोण्डा, 10. फैजाबाद, 11. बाराबंकी, 12 मऊ, 13. इटावा, 14. सुल्तानपुर, 15. लखनऊ, 16. शाहजहाँपुर में बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन (कुक्ड मील) योजना लागू किए जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है :–

1. प्रदेश के सरकारी/परिषदीय/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों/ई0जी0एस0 केन्द्रों में कक्षा–1 से 5 तक अध्ययनरत बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर वर्ष में कम से कम 200 दिन पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा तथा प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन में 300 कैलोरी ऊर्जा तथा 8–12 ग्राम प्रोटीन हानी अनिवार्य है।

2. भारत सरकार द्वारा तीन किलोग्राम प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी की दर से उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न से बच्चों को ग्राम पंचायत/वार्ड कमेटियों के माध्यम से पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु व्यवस्था की जाएगी जिसके अन्तर्गत गेंहूँ बाहुल्य क्षेत्रों में दलिया (मीठा), नमकीन दाल रोटी अथवा सब्जी रोटी अथवा चावल बाहुल्य क्षेत्रों में खिचड़ी, तहरी, दाल चावल, सब्जी चावल तैयार कराकर बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें निर्धारित पौष्टिकता का स्तर बनाए रखने के उद्देश्य से दाल अथवा सब्जी का उपयोग स्थानीय स्तर पर मौसम के आधार पर किया जा सकेगा।

3. भोजन पकाने के कार्य में अध्यापकों एवं छात्रों की सहायता न लेते हुए ग्राम पंचायतों की सहायता ली जाएगी तथा भोजन पकाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप)/एन.जी.ओ. की सेवाएं भी प्राप्त की जा सकेगी।

4. खाना पकाने के लिए सामग्री/मजदूरी की व्यवस्था (कन्वर्जन कास्ट) निम्नलिखित स्रोतो से वहन की जाएगी :–

1. 25 प्रति.पी.एम.जी.वाई.योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी जा रही अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से।
2. 25 प्रतिशत राज्य सरकार से वित्त पोषण से।
3. 50 प्रतिशत खाद्यान्न के रूप में खाना पकाने वाली संस्था को (02 किग्रा प्रति छात्र प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध कराकर) (यह खाद्यान्न भारत सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध

कराये जा रहे खाद्यान्न का ही अंग होगा। अतः इस निमित्त धनराशि की व्यवस्था कराते हुए अवमुक्त किए जाने की आवश्यकता न होगी)

5. ग्रामीण क्षेत्र में किचेन शेड का निर्माण सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) एवं शहरी मलिन बस्ती क्षेत्रों में किचेन शेड का निर्माण नेशनल स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम से दिया जाएगा। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चिन्हांकित नवीन विद्यालयों में किचेन शेड का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान से किया जाएगा।

6. खाना पकाने हेतु बर्तनों की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से की जाएगी।

7. योजना के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग के आय व्ययक में करायी जाएगी जिसे आवश्यकतानुसार पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग को अवमुक्त किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत/वार्ड समिति के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में भोजन पकाकर उपलब्ध कराये जाने का पूर्ण दायित्व पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग का होगा।

8. ग्राम प्रधान/अध्यक्ष वार्ड समिति द्वारा बच्चों का सत्यापन संख्या के आधार पर कराते हुए प्रतिमाह कन्वर्जन कास्ट की धनराशि अग्रिम के रूप में की जा सकेगी तथा उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हुए अगले माह हेतु अनाज एवं कन्वर्जन कास्ट प्राप्त किया जा सकेगा/सकेगी।

विद्यालयों में पके-पकाये भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर एवं समिति निम्नवत गठित की जाएगी।

1. ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
2. सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत दो महिलाएं जो अभिभावक भी हों	सदस्य
3. विद्यालय के प्रधानाध्यापक	सदस्य
4. दो पुरूष अभिभावक प्रतिनिधि जो ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत होंगे	सदस्य

9. नगर निगम/नगर पालिकाएं/नगर पंचायतों के क्षेत्रों के अन्तर्गत पड़ने वाले विद्यालयों के बच्चों हेतु पका-पकाया भोजन तैयार करने तथा उसे बच्चों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु वार्ड समिति निम्नवत् गठित की जाएगी :-

1. सम्बन्धित वार्ड सभासद	अध्यक्ष
2. सम्बन्धित वार्ड सभासद द्वारा मनोनीत दो महिलाएं जो अभिभावक भी हों	सदस्य
3. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक	सदस्य
4. दो पुरूष अभिभावक प्रतिनिधि जो वार्ड के सभासद द्वारा मनोनीत होंगे	सदस्य

10. प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों को पका-पकाया भोजन प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर भी एक समिति गठित की जाएगी जिसकी प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक अवश्य की जाएगी। जनपद स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् होगा :-

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
4. जिला विद्यालय निरीक्षण	सदस्य
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
6. जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
7. सम्बन्धित नगर आयुक्त/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	सदस्य
8. जिला पूर्ति अधिकारी	सदस्य

www.primarykamaster.com

9. भारत खाद्य निगम/उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के अधिकारी — सदस्य

11. उक्त योजना की नियमित समीक्षा/अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर भी निम्नवत् एक समिति गठित की जाएगी जो योजना की प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा करेगी:—

1. प्रमुख सचिव, शिक्षा/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा सचिव, बेसिक शिक्षा — अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज
3. प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन
4. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त
5. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास
6. प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम
8. निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग
9. निदेशक, पंचायती राज विभाग
10. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद

12. इस योजना पर आने वाले व्यय–भार के निमित्त वित्तीय स्वीकृत के आदेश अलग से निर्गत किए जाएगें।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अद्धशासकीय संख्या–ई–11/1047/दस–2004 दिनांक 18.6.2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय
ह0
(हरिराज किशोर)
सचिव

पृष्ठांकन समसंख्यक (1) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, बेसिक शिक्षा।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. गार्ड फाइल/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,
ह0
(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव

प्राइमरी का मास्टर ● कॉम
www.primarykamaster.com

रसोईया के चयन हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का नवीन स्वहस्ताक्षरित फोटो

नाम : ....

पिता/पति का नाम : ....

लिंग : ....

श्रेणी : 1 ☐ अनुसूचित जाति

2 ☐ अनुसूचित जनजाति

3 ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग

4 ☐ सामान्य

(नोट : श्रेणी के आगे बने बॉक्स में (√) का चिन्ह अंकित करें।)

वैवाहित स्थिति : 1 विवाहित/अविवाहित ....

2 विधवा/परित्यक्ता ....

(नोटः परित्यक्ता की स्थिति में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।)

आवेदक के बच्चे का नाम : ....

विद्यालय का नाम(जहाँ अध्ययन कर रहा है।)..

कक्षा ....

आवेदक से संबंध ....

आवेदक का पता : ....

....

दिनांक :..................................

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

परित्यक्ता हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री .... पिता..............................
....निवासी...
........................दिनांक ....से अपने पति श्री ....
से विलग होने के उपरान्त अपने पति के निवास ....
से अलग .... में निवास कर रही हैं।

जारी करने की तिथि :

ग्राम पंचायत अधिकारी का हस्ताक्षर

(नाम व मुहर सहित)

प्राइमरी का मास्टर • कॉम
www.primarykamaster.com

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग–6
संख्याः 1151 /79–6–10
लखनऊ दिनांकः 23 जुलाई, 2010

विज्ञप्ति / संशोधन

प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को पके–पकाए मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था हेतु रसोइये के चयन एवम् नियत मानदेय के संदर्भ में शासनादेश संख्या:435(1)/79–6–10 दिनांकः 24 अप्रैल, 2010 द्वारा व्यवस्था की गई थी। उक्त शासनादेश दिनांकः दिनांकः 25.04.2010 के प्रस्तर–3 की व्यवस्था को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर निम्न संशोधित व्यवस्था प्रतिस्थापित की जाती है :–

(3) ग्राम पंचायत एवं वार्ड समितियों के योजना के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में रसोइये के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि विधवा महिला, निराश्रित महिला एवं तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी क्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार पुरूष प्रत्याशियों में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निराश्रितों को प्राथमिकता दी जा सकेगी।

शासनादेश दिनांकः 24 अप्रैल, 2010 के अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगें।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(बालकृष्ण दुबे)
विशेष सचिव

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0

तृतीय तल, आपद्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं0–0522–2304363

फोन नं0–0522–2308501–02, 2307093, 2307094

ई मेल–lkomdm@gmail.com

Website : www.upmdm.org

प्राइमरी का मास्टर • कॉम www.primarykamaster.com

पत्रांकः मभोप्रा/ 492 /2011–12 दिनांक : 02.05.2011

सेवा में,

जिलाधिकारी,

आजमगढ़।

विषयः मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों को पके–पकाये मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था हेतु रसोइयों का चयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–1512–16 दि0 27–4–2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा 'यदि चयनित रसोइयों के पाल्य जब तक विद्यालय में अध्ययनरत् हैं, तब तक संबंधित रसोइये का पदस्थापन यथावत रहेगा। इसके उपरान्त यदि उनके पाल्य उच्चीकृत कक्षाओं में चले जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनके स्थान पर नवीन चयन की कार्यवाही की जाय साथ ही यदि एक ही कैम्पस में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित हों एवं दोनों विद्यालयों का भोजन एक ही जगह बनता है तो प्राथमिक विद्यालय में चयनित रसोइयों के पाल्य यदि उच्चीकृत कक्षाओं में चले भी जाते हैं तो भी उनको यथावत रखना उचित होगा ' उक्त सन्दर्भ में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि रसोईयों की नियुक्ति सम्बन्धी शासनादेश संख्या–435(1)/79–6–10 दि0 24.04.2010 के प्रस्तर–3 में रसोइयों के चयन हेतु चयन की प्रक्रिया, चयन हेतु आर्हता एवं निष्कासन की प्रक्रिया निर्धारण करने का उल्लेख है। मात्र शासनादेश सं0–1151/79–6–2010 दि0 23.07.2010 के माध्यम से रोस्टर हेतु संशोधन किया गया है, शेष समस्त प्राथमिकताऍ यथावत रखी गयी हैं। प्रस्तर–4 के द्वितीय प्रस्तर की चौथी पंक्ति में स्पष्टतः अंकित है कि 'रसोइयों का चयन एक शिक्षा सत्र के लिए किया जाएगा ', पुनः प्रस्तर–6 की छठी पंक्ति में इंगित है कि ' ग्राम/वार्ड स्तरीय समिति द्वारा रसोइयों के निष्कासन की कार्यवाही प्रधानाध्यापक की रिपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी।' स्पष्ट है कि यदि किसी रसोइये का पाल्य विद्यालय में अध्ययनरत है अथवा उसी परिसर में उच्चीकृत कक्षा मे चला जाता है और उस रसोइये का भोजन पकाने सम्बन्धी सुरक्षा एवं स्वच्छता सम्बन्धी मानकों का पालन बिना लापरवाही, अनुशासनहीनता के किया गया है और वह किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं है अथवा उसके विगत कार्यकाल में कोई दुर्घटना भोजन पकाने अथवा वितरण के सम्बन्ध में घटित नहीं हुई है और कोई अन्य युक्तियुक्त कारण उसके कार्य व्यवहार के उचित न पाए जाने के संबंध में नहीं है तो उसके आवेदन दिए जाने पर उसका चयन न करने का भी कोई औचित्य नहीं है। चूंकि विद्यालय 01 जुलाई से 20 मई तक ही खुले रहते हैं और 20 मई से 30 जून तक विद्यालय मे शिक्षण कार्य सम्पन्न नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में निर्धारित कार्यावधि समाप्त होने के उपरान्त अनुबन्ध नवीनीकरण के लिए औपचारिकताओं की पूर्ति नियमानुसार होगी।

अतः उक्त क्रम मे शासनादेश सं0 435/79–6–10 दि0 24.04.2010, 435(1)/79–6–10 दि0 24.04.2010 एवं 1151/79–6–2010 दि0 23.07.2010 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के0 राम मोहन राव)

निदेशक

प्रतिलिपिः समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजीव कुमार)

अपर निदेशक

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग–6
संख्याः 1151 /79–6–10
लखनऊ दिनांकः 23 जुलाई, 2010

विज्ञप्ति / संशोधन

प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को पके–पकाए मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था हेतु रसोइये के चयन एवम् नियत मानदेय के संदर्भ में शासनादेश संख्याः435(1)/79–6–10 दिनांकः 24 अप्रैल, 2010 द्वारा व्यवस्था की गई थी। उक्त शासनादेश दिनांकः दिनांकः 25.04.2010 के प्रस्तर–3 की व्यवस्था को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर निम्न संशोधित व्यवस्था प्रतिस्थापित की जाती है :–

(3) ग्राम पंचायत एवं वार्ड समितियों के योजना के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में रसोइये के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि विधवा महिला, निराश्रित महिला एवं तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी क्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार पुरूष प्रत्याशियों में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निराश्रितों को प्राथमिकता दी जा सकेगी।

शासनादेश दिनांकः 24 अप्रैल, 2010 के अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगें।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(बालकृष्ण दुबे)
विशेष सचिव

रसोइया के चयन हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का
नवीनतम फोटो
स्वहस्ताक्षरित

नाम – ....

पिता /पति का नाम -...

श्रेणी – ☐ अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जन जाति
☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ सामान्य

नोट – (श्रेणी के आगे बने बाक्स में(✓)चिन्ह अंकित करें |)

वैवाहिक स्थिति : 1 विवाहित /अविवाहित - ....
2 विधवा /परित्यक्ता - ....

(नोट – परित्यक्ता की स्थिति में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा |)

आवेदक के बच्चे का नाम - ....

विद्यालय का नाम (जहाँ अध्ययन कर रहा है |) ....

कक्षा - .... आवेदक से सम्बन्ध -..

आवेदक का पता - ....

....

आवेदक का हस्ताक्षर / अंगूठे का नाम निशान

परित्यक्ता हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता कि सुश्री .... पति का नाम -....................................

निवासी -...

दिनांक - .... से अपने पति श्री - ....

से विलग होने के उपरान्त अपने पति के निवास -...

से अलग .... में निवास कर रही हैं |

ग्राम पंचायत अधिकारी का हस्ताक्षर
(नाम व मुहर सहित)

संख्या- [illegible]

प्रेषक,

[illegible]
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, [illegible] लखनऊ।

2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक [illegible] अगस्त, [illegible]

विषय- [illegible]

महोदय,

[illegible]

2- [illegible]

भवदीय,

[illegible]
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), [illegible]
4- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, [illegible]

आज्ञा से,

[illegible]
अनु सचिव।

! शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन !

आओ पढ़ाएं
सबको बढ़ाएं

रसोईया चयन

कार्यवाही पंजिका

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

शैक्षिक सत्र - 202_ - 202_

U-DISE Code -

प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक/ कम्पोजिट विद्यालय ....

ग्राम पंचायत .... न्याय पंचायत ....

विकास खण्ड .... जनपद ....

प्राप्ति स्थान

अध्यापक परीक्षा परिषद

A.P.P. अध्यापक परीक्षा परिषद बहराइच–271801

Mob.: 9454023786, 9721220786
Email.: adhyapakparikshaparishad0786@gmail.com

Scanned by Scanner Go

संख्या– 843/अरसठ–4–2022–604/2020

प्रेषक,

अवधेश कुमार तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–निदेशक,
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 31 अगस्त, 2022

विषयः–पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में रसोईया चयन की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के पत्रांक–म0भो0प्रा0/285/2022–23 दिनांक 09 अप्रैल, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा रसोइया चयन, रसोईयों की संख्या का पुनर्निर्धारण एवं नवीनीकरण पर लगायी गयी रोक समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत रसोईयों की संख्या का पुनर्निर्धारण एवं नवीनीकरण/चयन की कार्यवाही शासनादेश संख्या–435(1)/79–6–10 दिनांक 24 अप्रैल, 2010 के प्रस्तर–6 में विहित व्यवस्था के अनुसार किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

31/8/2022

(अवधेश कुमार तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
3– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
4– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

Su.mdm.go 2022

Scanned by Scanner Go

रसोईया चयन समिति गठन एजेण्डा

आज दिनांक ________________ को विद्यालय प्रबन्ध समिति, प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय ________________ विकास क्षेत्र ________________ जनपद ________________ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि प्राथमिक / पूर्व माध्यमिक विद्यालय ________________ विकास क्षेत्र ________________ जनपद ________________ के प्रांगण में विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक ________________ को प्रातः 10.00 बजे आहूत की जायेगी।

बैठक का उद्देश्य कार्यरत रसोईया / नवीन रसोईयों का चयन शिक्षा सत्र 20 – 20 करना है।

हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान / अध्यक्ष

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक / सदस्य-सचिव

क्र.सं.	पदाधिकारी / सदस्य का नाम	पद	पद स्थापित	हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Scanned by Scanner Go

रसोईया चयन समिति गठन एजेण्डा

सेवा में,

मानननीय ग्राम प्रधान / अध्यक्ष महोदय

प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय .... ग्राम पंचायत ....

न्याय पंचायत .... विकास खण्ड .... जनपद ....

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि दिनांक .... को पूर्वान्ह / अपरान्ह .... बजे प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय .... में वर्ष 20 –20 हेतु शासनादेश के क्रम में रसोईया चयन समिति गठन की एक बैठक आपकी अध्यक्षता में आहूत की गई है।

आप से अनुरोध है कि कृपया ससमय बैठक में उपस्थित होकर समिति के गठन में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

दिनांक ....

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक / सदस्य-सचिव

प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय ....

न्याय पंचायत .... विकास खण्ड ....

जनपद ....

Scanned by Scanner Go

रसोईया चयन समिति गठन कार्यवाही

आज दिनांक .... पूर्वान्ह / अपरान्ह .... बजे प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय .... न्याय पंचायत .... विकास खण्ड .... जनपद .... के प्रागंण मे पूर्व निर्धारित एजेण्डे के अनुसार माननीय ग्राम प्रधान महोदय के अध्यक्षता में शासनादेश के अन्तर्गत रसोईया चयन समिति / भोजन समिति का गठन प्रस्ताव प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम प्रधान के समक्ष रखा गया तथा प्रधानाध्यापक द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त शासनादेशानुसार निम्न प्रकार रसोईया चयन समिति का गठन किया जाना है।

1– माननीय ग्राम प्रधान – अध्यक्ष

2– माननीय ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत दो महिलाएं जो अभिभावक भी हों। – सदस्य

3– विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक – सदस्य

4– दो पुरूष अभिभावक प्रतिनिधि जो माननीय ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीति होंगे। – सदस्य

माननीय ग्राम प्रधान / अध्यक्ष महोदय द्वारा शासनादेश के अनुपालन में निम्नानुसार रसोईया चयन समिति का गठन किया गया।

1– माननीय ग्राम प्रधान / अध्यक्ष

कु0 / श्री / श्रीमती ....

2– महिला अभिभावक सदस्य–

1– श्रीमती .... 2– श्रीमती ....

3– पुरूष अभिभावक सदस्य–

1– श्री .... 2– श्री ....

4– सदस्य–सचिव / प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक–

कु0 / श्री / श्रीमती ....

हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान / अध्यक्ष

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक / सदस्य-सचिव

प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय ....

न्याय पंचायत .... विकास खण्ड ....

जनपद ....

Scanned by Scanner Go

रसोईया चयन एजेण्डा

सेवा में,

1— माननीय ग्राम प्रधान / अध्यक्ष

कु0 / श्री / श्रीमती ______

2— महिला अभिभावक सदस्य—

1— श्रीमती ______ 2— श्रीमती ______

3— पुरूष अभिभावक सदस्य—

1— श्री ______ 2— श्री ______

महोदय / महोदया,

आप सभी से सादर अनुरोध है कि श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जनपद ______ के आदेश संख्या ______ दिनांक ______ के द्वारा वर्ष— 20 — 20 हेतु रसोईया चयन करने के निर्देश दिये गये हैं। नियमानुसार विद्यालय की कुल छात्र संख्या______ हेतु रसोईया का चयन किया जाना है। जिसके सम्बन्ध में दिनांक ______ को पूर्वान्ह / अपरान्ह. ______ बजे विद्यालय के प्रांगण में एक बैठक आहूत की गई है। जिसमें आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है।

अस्तु आप से अनुरोध है कि ससमय बैठक में उपस्थित होकर रसोईया चयन कराया जाने का कष्ट करें।

दिनांक ______

हस्ताक्षर अध्यक्ष
सम्मानित सदस्यगण

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक / सदस्य-सचिव
प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय ______
न्याय पंचायत ______ विकास खण्ड ______
जनपद ______

Scanned by Scanner Go

रसोईया चयन हेतु कार्यवाही

आज दिनांक .... पूर्वान्ह / अपरान्ह .... बजे प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय .... न्याय पंचायत .... विकास खण्ड .... जनपद .... के प्रागंण में पूर्व निर्धारित एजेण्डे के अनुसार माननीय ग्राम प्रधान महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई।

श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेश संख्या .... दिनांक .... के क्रम में विद्यालय में कुल अध्ययनरत छात्र / छात्राओं संख्या .... हेतु वर्ष– 20 – 20 हेतु कुल .... रसोईयों के नवीनी करण / चयन का प्रस्ताव किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर चयन किया गया जो रसोईया चयन पत्रों की तालिका के अनुसार प्रारूप–2 एवं रसोईया चयन प्रपत्र पर संलग्न है सर्वसम्मत से चयन कर प्रस्तावित किया गया।

अन्त में समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रधानाध्यापक अपने स्तर से कार्य प्रारम्भ करायें तथा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर आज की बैठक सम्पन्न की गई।

हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान / अध्यक्ष

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक / सदस्य-सचिव

प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय ....
न्याय पंचायत .... विकास खण्ड ....
जनपद ....

Scanned by Scanner Go

रसोइया चयन सम्बन्धी प्राप्त आवेदन पत्र

क्र0 सं0	रसोईया / आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	जाति	विधवा/ परित्यक्ता	पता	आवेदक से सम्बन्धित छात्र का नाम	कक्षा	सम्बन्ध	आवेदन प्राप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान / अध्यक्ष

प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक
प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय ....
न्याय पंचायत .... विकास खण्ड ....
जनपद ....

Scanned by Scanner Go

प्रारूप–2 शैक्षिक सत्र........................

रसोइया चयन सम्बन्धी प्रस्ताव

प्राप्त आवेदन पत्रों (प्रारूप1) पर चयन समिति द्वारा विचारोपरान्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय .... न्याय पंचायत .... विकास खण्ड .... जनपद .... में रसाइया हेतु निम्नलिखित का नाम शैक्षिक सत्र के लिए प्रस्तावित / चयनित किया गया।

क्रम सं.	नाम	पिता / पति	वरीयता का कारण	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

हस्ताक्षर रसोइया चयन समिति :

1. महिला सदस्य -
2. महिला सदस्य -
3. पुरूष सदस्य -
4. पुरूष सदस्य -

हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान / अध्यक्ष

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक / सदस्य-सचिव

Scanned by Scanner Go

रसोइया चयन प्रपत्र

प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय ____________ न्याय पंचायत ____________ विकास खण्ड ____________ जनपद ____________

क्रम सं.	रसोईया का नाम	पिता / पति का नाम	वैवाहिक स्थिति	जाति	पाल्य का नाम	कक्षा	रसोईया से सम्बन्ध	बैंक का नाम व शाखा	खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी. कोड	मोबाइल नम्बर

हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान / अध्यक्ष

प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक
प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय ____________
न्याय पंचायत ____________ विकास खण्ड ____________
जनपद ____________

Scanned by Scanner Go

चयनित रसोइयों की सूची (रसोइया चयन–प्रपत्र)

प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय .... न्याय पंचायत .... विकास खण्ड .... जनपद ....

क्रम सं.	रसोईया का नाम	पिता / पति का नाम	वैवाहिक स्थिति	जाति	पाल्य का नाम	कक्षा	रसोईया से सम्बन्ध	बैंक का नाम व शाखा	खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी कोड	मोबाइल नम्बर
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											

अवमोचक रसोइयों की सूची

क्रम सं.	रसोईया का नाम	पिता/पति का नाम	वैवाहिक स्थिति	जाति	पाल्य का नाम	कक्षा	रसोईया से सम्बन्ध	बैंक का नाम व शाखा	खाता संख्या	आई.एफ.एस.सी कोड	मोबाइल नम्बर
1.											
2.											
3.											

हस्ताक्षर ग्राम प्रधान / अध्यक्ष

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक

Scanned by Scanner Go

संख्याः 4350/79-6-10

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांकः 24 अप्रैल, 2010

विषयः प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पके-पकाये मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था हेतु रसोईये का चयन एवं नियत मानदेय के सम्बन्ध में।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत आच्छादित राजकीय/स्थानीय निकाय/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, तहतानिया स्तर के मकतब/मदरसो, ई0सी0जी0आई0 केन्द्रों में भोजन पकाने हेतु स्थानीय स्तर पर रसोईये की व्यवस्था ग्राम प्रधान, वार्ड सभासद एवं स्वयं सहायता समूह आदि द्वारा की जाती है। शासनादेश संख्या-3026/79-6-2009 दिनॉक-26.12.09 जारी होने के पूर्व इन रसोईयों को परिवर्तन लागत के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य धनराशि में से ही मानदेय का भुगतान किया जाता था। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या-एफ0एन0ओ01-1/2009-डेस्क(एम0डी0एम0) दिनॉक-24.11.09 के कम में निर्गत शासनादेश संख्या-3026/79-6-2009 दिनॉक-26.12.09 द्वारा उक्त निर्धारित व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए रसोईये के लिए रू0 1000/- की दर से पृथक से मानदेय दिये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। रसोईये पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत वहन भारत सरकार द्वारा तथा शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

2. शासनादेश संख्या-3026/79-6-2009 दिनॉक-26.12.09 द्वारा निर्धारित नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, वार्ड शिक्षा समिति, स्वयं सहायता समूह से आच्छादित विद्यालयों तथा एन0जी0ओ0 द्वारा विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बनवाने की स्थिति में तथा शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा विद्यालय में मध्यान्ह भोजन बनवाने की स्थिति में रसोईये की संख्या हेतु मानक निम्नवत् निर्धारित किया जाता है-

कम संख्या	विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या	अनुमन्य रसोईये की संख्या
1	25 तक	1
2	26-100	2
3	101-200	3
4	201-300	4
5	301-1000	5
6	1001-1500	6
7	1501 से अधिक	7

रसोईये के मानदेय का भुगतान बैंक में रसोईये के नाम बचत खाता खुलवाकर एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से किया जायेगा। रसोईये के मानदेय हेतु निर्धारित धनराशि रू0 1000/- प्रतिमाह की दर से ग्राम शिक्षा निधि/वार्ड शिक्षा निधि के खाते में भेजी जायेगी। जबकि शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, एन0जी0ओ0 तथा स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में यह धनराशि सम्बन्धित संस्थाओं के खाते में भेजी जायेगी।

3. ग्राम पंचायत एवं वार्ड समितियों के योजना के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में रसोईये का चयन शासनादेश संख्या-1429/79-6-04-1(6)/2000 टी.सी.-3 दिनॉक-25 जून,04

Scanned by Scanner Go

(छायाप्रति संलग्न) द्वारा गठित ग्राम पंचायत समिति/वार्ड समिति द्वारा किया जायेगा। रसोईये के चयन हेतु चयन की प्रकिया, चयन हेतु अर्हता एवं निष्कासन की प्रकिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है:–

रसोईये का चयन उपरोक्त समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थियों की अभिभाविकाओं (माता, दादी, बहन, चाची, ताई, बुआ) में से कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–4/1/2001–कार्मिक–2 दि0 25.06.2002 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित रोस्टर के आधार पर किया जाएगा –

1– अनुसूचित जाति
2– अनारक्षित
3– अन्य पिछड़ा वर्ग
4– अनारक्षित
5– अनुसूचित जाति
6– अनारक्षित
7– अन्य पिछड़ा वर्ग

तथापि किसी विद्यालय में नामांकित छात्र संख्या के आधार पर एक ही रसोईया अनुमन्य होने की स्थिति में एकल पद होने के कारण संबंधित स्थान अनारक्षित रहेगा।

4. उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत अभ्यार्थियों का चयन करते समय विधवा एवं परित्यकता को प्राथमिकता दी जायेगी। किसी स्थान हेतु विधवा एवं परित्यकता दोनों के आवेदन करने की स्थिति में विधवा को प्राथमिकता दी जायेगी। अभ्यर्थी के परित्यकता होने की स्थिति में उसे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

रसोईये के चयन के लिए यह आवश्यक नही है कि अभ्यर्थी आवेदन करने वाले विद्यालय से सम्बन्धित ग्राम पंचायत/वार्ड का निवासी हो, तथापि यह अनिवार्य होगा कि उससे सम्बन्धित बच्चा उसी विद्यालय में पढ़ता हो जिस विद्यालय में अभ्यर्थी द्वारा रसोईया रखे जाने के लिए आवेदन किया गया है। रसोईये का चयन एक शिक्षा सत्र के लिए किया जायेगा। किसी विद्यालय के लिए आवेदन करने वाले रसोइयों में से शासन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानक के अनुसार अनुमन्य रसोईये की संख्या के दो गुना रसोइयों का पैनल तैयार किया जायेगा। किसी रसोईयें के बीमारी अथवा किसी अन्य कारण से किसी विद्यालय दिवस में अनुपस्थित होने पर इस पैनल की प्रतीक्षा सूची में से रसोईये को अनुपस्थित रसोईये के कार्य पर वापस आने तक लगाया जा सकेगा। इस रसोईये को प्रतिदिन रू0 45 की दर से मानदेय देय होगा जो कि अनुपस्थित रसोईये के मानदेय से कटौती कर दिया जायेगा। लेकिन ऐसे अतिरिक्त रसोईये को किसी माह विशेष में अधिकतम रू0 1000 का ही मानदेय अनुमन्य होगा अर्थात किसी माह विशेष में 23 व इससे अधिक विद्यालय दिवस होने की स्थिति में रू0 1000 मानदेय ही दिया जायेगा।

5. रसोईयों का चयन करने वाली ग्राम/वार्ड स्तरीय समिति को यह अधिकार होगा कि मध्यान्ह भोजन पकाने संबंधी सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी मानकों के पालन में लापरवाही, अनुशासनहीनता, किसी संकामक रोग से ग्रसित होने, किसी दुर्घटना के घटित होने अथवा अन्य कोई युक्ति–युक्त कारण, जिसके कारण चयन समिति भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों के हित में रसोईये से कार्य लेना उचित न समझे, के विद्यमान होने की स्थिति में रसोईये को तत्काल प्रभाव से हटाकर संबंधित श्रेणी के अगले अभ्यर्थी को रसोईये के काम पर लगा सकेगी। ग्राम/वार्ड स्तरीय समिति द्वारा रसोईये के निष्कासन की कार्यवाही प्रधानाध्यापक की रिपोर्ट के आधार पर ही की जायेगी।

इस संदर्भ में वर्ष 2010–11 हेतु रसोईयों के चयन के लिए विज्ञापन मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण स्तर से दि0 27.04.2010 तक प्रकाशित किया जाये। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारियों, सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के माध्यम से प्रचार–प्रसार करने के निर्देश दे दिये जायें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि शासन द्वारा निर्धारित मानको के आधार

Scanned by Scanner Go

एवं ग्राम पंचायत/वार्ड समितियों के माध्यम से योजना से आच्छादित विद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में रसोईयों की संख्या विद्यालयवार निर्धारित करते हुए सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं वार्ड सभासद को संबंधित प्रधानाध्यापकों एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से संसूचित करें। इस संख्यात्मक विवरण को मध्यान्ह् भोजन प्राधिकरण की वेबसाइट परं भी अपलोड कर दिया जाय, जिससे इच्छुक सामान्यजन इस विवरण की जानकारी प्राप्त कर सकें। ग्राम पचायत और वार्ड सभासद के स्तर पर प्रचार-प्रसार हेतु स्थानीय संसाधनों यथा डुगडुगी आदि का भी प्रयोग किया जाये, ताकि सभी अर्ह अभ्यर्थियों को रसोईये के चयन के संबंध में उपलब्ध रिक्तियों आदि की जानकारी हो सके।

6. वर्ष 2010-11 के बाद आगामी प्रत्येक शिक्षा सत्र के लिए चयन विगत शिक्षा सत्र समाप्त होने के पूर्व अप्रैल से मई माह में कर लिया जायेगा। इसके लिए सम्बन्धित जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 10 अप्रैल तक विज्ञापन प्रकाशित करा दिया जायेगा। जिसमें अर्ह अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु 10 दिन का समय प्रदान करते हुए विज्ञापन में ग्राम पंचायत/वार्ड समिति के सदस्य सचिव (सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक) के पास आवेदन पत्र प्राप्त कराने की अन्तिम तिथि भी अंकित कर दी जाये(आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्नक-1)। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा। विज्ञापन में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया जाये कि सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त उसको पावती रसीद दी जायेगी। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा आवेदन प्राप्त करने से इनकार करने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी विज्ञापन में आवेदन हेतु नियत तिथि के अपराह्न 5.00 बजे तक जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में इस प्रयोजन हेतु लगाये गये ड्राप बाक्स में अपना आवेदन डाल सकेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ड्राप बाक्स में डाले गये आवेदन पत्रों को आगामी 5 दिन के अन्दर सम्बन्धित प्रधानाध्यापकों को सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके उपरान्त ग्राम/वार्ड स्तरीय समिति द्वारा आगामी 1 सप्ताह के अन्दर रसोईये के चयन की कार्यवाही पूरी की जायेगी तथा समिति के सदस्य सचिव द्वारा इसकी लिखित सूचना विलम्बतम् 7 मई तक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

किसी अभ्यर्थी द्वारा चयन के विरूद्ध सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी, जो कि अपील प्राप्त होने के 1 माह के अन्दर अपील का निस्तारण सुनिश्चित करेगा।

सहायता प्राप्त विद्यालयों, मकतब/मदरसों, स्वयं सहायता समूह तथा एन0जी0ओ0 द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में रसोईये का चयन संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा तथा इन संस्थाओं के ऊपर चयन प्रक्रिया संबंधी उपरोक्त प्राविधान लागू नहीं होंगे।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
सचिव।

पृ0सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0), उ0प्र0।
4– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ0प्र0।

(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव।

Scanned by Scanner Go

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालय में कार्यरत रसोइयों के कार्य प्रमाणन का प्रारूप

विकास खण्ड–			विद्यालय का नाम–						
ग्राम पंचायत–			माह का नाम–						
क्रमाँक	रसोइया का नाम	पिता/पति का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	आई0एफ0एस0 कोड	नवीनीकरण/नयी/मृतक/कार्यमुक्त	दिनाँक	माह में देय मानदेय	कार्य प्रमाणन
1-									
2-									
3-									
4-									
5-									
6-									
7-									
8-									
9-									

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक

Scanned with OKEN Scanner

<u>रसोइया उपस्थिति विवरण</u>

विद्यालय का नाम -... ,एन.पी.आर.सी. - ....

ब्लॉक-.. जनपद-...................................... (उ0प्र0) यू डायस कोड.................... माह का नाम- .... वर्ष -....................

क्रम सं०	रसोइया का नाम-	माह के कार्य दिवस -	माह में उपस्थित दिनों की संख्या	माह में अनुपस्थित दिनों की संख्या -	मोबाइल नम्बर -	हस्ताक्षर रसोइया -
1						
2						
3						

हस्ताक्षर -

दिनांक - ....

प्र0अ0/प्रभारी प्र0अ0

रसोइया उपस्थिति विवरण

विद्यालय का नाम -..,एन.पी.आर.सी. - ....

ब्लॉक-..जनपद-...(उ0प्र0) यू डायस कोड... माह का नाम- ....वर्ष -......................

क्रम सं०	रसोइया का नाम-	माह के कार्य दिवस -	माह में उपस्थित दिनों की संख्या	माह में अनुपस्थित दिनों की संख्या -	मोबाइल नम्बर -	हस्ताक्षर रसोइया -
1						

हस्ताक्षर -

प्र0अ0/प्रभारी प्र0अ0

दिनांक - ....

रसोइया उपस्थिति विवरण

विद्यालय का नाम -...,एन.पी.आर.सी. - ....

ब्लॉक-..जनपद-...(उ0प्र0) यू डायस कोड.. माह का नाम- ....वर्ष -....................

क्रम सं०	रसोइया का नाम-	माह के कार्य दिवस -	माह में उपस्थित दिनों की संख्या	माह में अनुपस्थित दिनों की संख्या -	मोबाइल नम्बर -	हस्ताक्षर रसोइया -
1						
2						

हस्ताक्षर -

दिनांक - ....

प्र0अ0/प्रभारी प्र0अ0

रसोइया उपस्थिति विवरण

, विद्यालय का नाम - .... एन.पी.आर.सी. - ....

ब्लॉक-.. जनपद-.. (उ0प्र0) यू डायस कोड-.......................... माह का नाम-.......................... वर्ष -.............

क्रम सं०	रसोइया का नाम -	माह के कार्य दिवस -	माह में उपस्थित दिनों की संख्या -	माह में अनुपस्थित दिनों की संख्या -	मोबाइल नम्बर -	हस्ताक्षर रसोइया -
1						
2						
3						
4						

हस्ताक्षर -

दिनांक - .... प्र0अ0/प्रभारी प्र0अ0

<u>रसोइया उपस्थिति विवरण</u>

, विद्यालय का नाम- .... एन.पी.आर.सी. - ....

ब्लॉक-... जनपद-... (उ0प्र0) यू डायस कोड-... माह का नाम-................................. वर्ष -.................

क्रम सं०	रसोइया का नाम -	माह के कार्य दिवस -	माह में उपस्थित दिनों की संख्या	माह में अनुपस्थित दिनों की संख्या -	मोबाइल नम्बर -	हस्ताक्षर रसोइया -
1						
2						
3						
4						
5						
6						

हस्ताक्षर -

दिनांक – प्र0अ0/प्रभारी प्र0अ0

रसोइया उपस्थिति विवरण

, विद्यालय का नाम- .... एन.पी.आर.सी. - ....

ब्लॉक-... जनपद-... (उ0प्र0) यू डायस कोड-.................................. माह का नाम-........................... वर्ष -.............

क्रम सं०	रसोइया का नाम -	माह के कार्य दिवस -	माह में उपस्थित दिनों की संख्या	माह में अनुपस्थित दिनों की संख्या -	मोबाइल नम्बर -	हस्ताक्षर रसोइया -
1						
2						
3						
4						
5						

हस्ताक्षर -

दिनांक – प्र0अ0/प्रभारी प्र0अ0